

मैनुअल—3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE
DECISION MAKING PROCESS,
INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION
AND ACCOUNTABILITY

विषय सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
3	मैनुअल-3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	04
3.1	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं	03
3.2	पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय निरीक्षण बिन्दु	04
3.3	पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण	05-06
3.4	पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों का विवरण	07-08
3.5	पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को प्रदत्त सेवाओं तथा सेवा शुल्कों की विस्तृत जानकारी	09-11
3.6	पशुधन प्रजनन की परिकल्पना	12
3.7	उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति	13-15

3.1 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सम्मिलित है :-

प्रदेश स्तर पर योजना से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अनुश्रवण एवं प्रदेश स्तरीय लक्ष्यों का शत प्रतिशत आपूर्ति कराना जनपद/मण्डल स्तर की कठिनाईयां का त्वरित निराकरण।	निदेशक के दिशा निर्देशन में उत्तरदायित्व।
मण्डल स्तर/प्रायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त जनपदों में योजनाओं एवं कार्यों पर नियंत्रण/अनुश्रवण	अपर निदेशक मण्डल। परियोजना निदेशक, लघु पशु।
जनपद स्तर पर	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
विकास खण्ड स्तर/उप विकास खण्ड स्तर पर	वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी /पशुचिकित्साधिकारी।
न्याय पंचायत स्तर	पशुधन प्रसार अधिकारी।
बोर्डों/परिषदों	
1. उत्तराखंड पशुधन विकास परिषद	मुख्य अधिशासी अधिकारी सम्पूर्ण राज्य में परिषद के अधीन चल रही सभी योजनाओं के प्रति उत्तर दायित्व।
2. उत्तराखंड शीप एण्ड वूल डेवलेपमेन्ट बोर्ड	मुख्य अधिशासी अधिकारी सम्पूर्ण राज्य परिषद के अधीन चल रही सभी योजना के प्रति उत्तर दायित्व।
3. उत्तराखंड पशुकल्याण बोर्ड	सचिव पशुकल्याण बोर्ड सम्पूर्ण राज्य परिषद के अधीन चल रही सभी योजना के प्रति उत्तर दायित्व।
4. उत्तराखंड पशुचिकित्सा परिषद	रजिस्ट्रार सम्पूर्ण राज्य परिषद के अधीन चल रही सभी योजना के प्रति उत्तर दायित्व।

3.2 पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय निरीक्षण बिन्दु :-

विभागीय अधिकारियों के लिए भ्रमण दिवस मुख्यालय के अधिकारियों के लिए सप्ताह में एक दिन मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के लिए सप्ताह में दो दिन तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए सप्ताह में तीन दिन निर्धारित किया गया है। उक्त भ्रमण के समय विभिन्न विभागीय कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया जाना है जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

- विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्य पूर्ति का भौतिक सत्यापन करना।
- कृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत उत्पन्न संतति का भौतिक सत्यापन।
- डे बुक पंजिकाओं का निरीक्षण एवं आउट ब्रेक की स्थिति।
- स्वरोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत कार्यक्रमों की समीक्षा।
- योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता।
- बाढ़ एवं सूखे की स्थिति एवं उसकी रोकथाम की व्यवस्था तथा सूचना का प्रेषण।
- अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य ग्रामों का भ्रमण कर विभागीय कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन।
- विभागीय सांडों की जांच एवं भौतिक सत्यापन।
- क्षेत्रीय एवं अन्य रोग निदान प्रयोगशालाओं का निरीक्षण।
- विभागीय संस्थाओं के समय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनके स्टोर का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन तथा अपर निदेशक द्वारा 2 प्रतिशत संस्थाओं के स्टोर का निरीक्षण।
- लेवी की धनराशि की प्राप्ति एवं जमा करने का सत्यापन।
- उपस्थिति पंजिकाओं का निरीक्षण।
- विभागीय संस्थाओं का प्रभारी अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनो की स्थिति।
- भ्रमण के समय यह देखा जाये कि कितने पशुओं को टीका लगाया गया तथा कितने पशुओं को टीका नहीं लगाया गया तथा टीके की गुणवत्ता एवं कौन कौन से टीके लगाये गये।
- कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कितनी पूर्ति हुई तथा कितनी संतति उत्पन्न हुई।
- विभागीय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की विशेष समीक्षा की जाय तथा यह देखा जाय कि परियोजनाएं सुचारु रूप से चल रही है अथवा नहीं तथा उनकी गुणवत्ता ठीक रखी जा रही है अथवा नहीं।
- भ्रमण के समय विभाग से सम्बन्धित प्रमुख विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण करें तथा चल रहें विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करें योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कठिनाई है तो उसका समाधान है या नहीं।
- क्षेत्र में भ्रमण एवं निरीक्षण की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाये।
- आडिट एवं पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित कराना।
- अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण आदि।

उपरोक्त भ्रमण कार्यक्रमों/निरीक्षणों एवं भौतिक सत्यापन के समय मुख्यालय अधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का 2 प्रतिशत मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा 5 प्रतिशत तथा पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा 10 प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

3.3 पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण :-

- 1-कृत्रिम गर्भाधान- कृत्रिम गर्भाधान के कार्य प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में यू.एल.डी.बी. के सहयोग से संचालित किये जा रहें हैं, कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुश्रवण/नियंत्रण एवं जनपदों हेतु आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना मंडल स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करना, जनपद स्तर पर समन्वय रखना एवं विभिन्न जनपदों का निरीक्षण करना।
- 2-उत्पन्न संतति- प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों में कार्यान्वित किया जा रहा है, कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुश्रवण/नियंत्रण एवं जनपदों हेतु आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना मंडल स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करना, मंडल स्तर पर समन्वय रखना एवं विभिन्न जनपदों का निरीक्षण करना
- 3-टीकाकरण-क्षेत्र के सभी पशुओं को रोगनिरोधक टीके लगवाना ।
- 4-पशु चिकित्सा -पशु चिकित्सा हेतु प्रदेश स्तर पर 333 पशु चिकित्सालय, 10 द श्रेणी पशु औषधालय एवं 777 पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहां पर पशुपालकों को उनके बीमार पशुओं की समुचित चिकित्सा सुलभ कराई जाती है ।
- 5-बधियाकरण-निकृष्ट सांडो का बधियाकरण कार्य ।
- 6-भेड़ों को सामूहिक दवापान-प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं हेतु सामयिक आवश्यक निवेशों की आपूर्ति, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा मंडल स्तर में समन्वय बनाये रखने एवं कठिनाईयों का निराकरण करवाना ।
- 7-भेड़ बकरियों एवं सूकरियों में गर्भाधान- भेड़ बकरियों एवं सूकर पालकों को विभागीय प्रक्षेत्रों से उन्नत नस्ल के पशु आदि उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि क्षेत्र में अच्छे नस्ल के भेड़ बकरियां उत्पन्न हो सके जिससे पशुपालकों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आयेगा ।
- 8-प्रदेश की मांग के अनुसार विभिन्न वैक्सीनों की व्यवस्था करना तथा बैक्सीन के उपयोग का उत्तरदायित्व होगा ।

9-कुक्कुट विकास -

अ-कुक्कुट प्रशिक्षण - प्रदेश के इच्छुक कुक्कुट पालकों तथा कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु तथा अन्य संस्थाओं पर समन्वय बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व ।

ब- राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर चूजा उत्पादन एवं वितरण - प्रदेश स्तर पर अपर निदेशक, मुख्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रक्षेत्र के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति करायें उनकी कठिनाईयों का निराकरण करायें, सभी प्रक्षेत्रों का अनुश्रवण आदि निदेशक महोदय के दिशा निर्देश में करेंगे।

10-चारा विकास कार्यक्रम :-

अ- चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास योजना (जिला योजना) - योजना हेतु सामयिक निवेश उपलब्ध कराना, मार्गदर्शन देना, अनुश्रवण करना।

ब- अपौष्टिक चारे एवं सैल्युलोजिक वेस्ट्स को उपचारित कर पौष्टिक बनाना - जनपदों का चयन, भारत सरकार से धन उपलब्ध कराना, तकनीकी मार्ग दर्शन।

स- बायोमास उत्पादन में वृद्धि हेतु सिल्वी - पाश्चर की योजना - तदैव

द- चारा मिनिकिट्स वितरण एवं प्रदर्शन - भारत सरकार से आवंटन प्राप्त कर संयुक्त निदेशक (चारा विकास) को उपलब्ध कराना मिनिकिटों का मण्डल/जनपदवार आवंटन मार्गदर्शन/अनुश्रवण।

11- पशुधन बीमा योजना :-

यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में संचालित की जा रही है इस योजना का उद्देश्य पशुओं की दुर्घटना, मृत्यु व अन्य अप्रत्याशित क्षति होने पर पशुपालकों को उससे होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाना है। एक पशुपालक के अधिकतम 5 बड़े पशुओं (दुधारुगाय/भैंस पैक एनीमल यथा घोड़ा, गधा, खच्चर ऊँट, टट्टू/ अन्य पशुओं याक एवं मिथुन) अथवा 5 यूनिट छोटे पशुओं यथा - भेड़, बकरी, सुअर या खरगोश (एक यूनिट= 10 छोटे पशु) के बीमा का प्राविधान है। बीमा प्रीमियम में भारत सरकार/राज्य सरकार/लाभार्थी का अंशदान निम्नवत है:-

क्षेत्र	बीमा अवधि	ए.पी.एल. (बीमा प्रीमियम में अंशदान%)			बी.पी.एल. (बीमा प्रीमियम में अंशदान% में)		
		लाभार्थी	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	लाभार्थी	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार

सामान्य क्षेत्र	1 वर्ष	50	25	25	30	40	30
	3 वर्ष	50	25	25	30	40	30
पर्वतीय क्षेत्र	1 वर्ष	40	35	25	20	50	30
	3 वर्ष	40	35	25	20	50	30

बीमा प्रीमियम दरें :-

एक वर्ष के लिये 2.93 प्रतिशत एवं 3 वर्ष हेतु 7.42 प्रतिशत (स्थायी विकलांगता सम्मिलित नहीं)

एक वर्ष के लिये 3.20 प्रतिशत एवं 3 वर्ष हेतु 7.50 प्रतिशत (स्थायी विकलांगता सम्मिलित)

भारत सरकार के ज्ञाप संख्या-R-99014/15/2023-Anim_Dadrf दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन-जोखिम प्रबन्धन एवं बीमा के अन्तर्गत पशुधन बीमा हेतु संशोधित क्रियान्वयन दिशा-निर्देश (Amended Implementation Guidelines) निर्गत किये गये हैं, जिनके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित प्रकार से है :-

1. स्वदेशी/संकर (क्रास ब्रीड) नस्ल के दुधारु पशु, भारवाही पशु (अश्व, गर्दभ, खच्चर, ऊँट, पौनी एवं नर गौवंशीय/महिषवंशीय पशु) एवं अन्य पशुधन (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश, याक एवं मिथुन इत्यादि) पशुधन इस योजना की परिधि में सम्मिलित होंगे।
2. पशुधन बीमा का लाभ सूकर और खरगोश के अतिरिक्त अधिकतम 10 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित होगा। सूकर एवं खरगोश हेतु लाभ की यह सीमा अधिकतम 05 Cattle Units (01 Cattle Unit =10 सूकर एवं खरगोश) तक सीमित होगा। परन्तु ऐसे लाभार्थी जिनके पास 05 सूकर/खरगोश (01 Cattle Unit) से कम पशु हैं, भी योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे।
3. पशुधन बीमा हेतु प्रीमियम की कुल धनराशि का 15% लाभार्थी द्वारा देय होगा। प्रीमियम की शेष धनराशि का 90% अंश केन्द्र सरकार व 10% अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3.4 पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों का विवरण :-

1-पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

2-पशु विकास कार्यक्रम।

3-कुक्कुट विकास कार्यक्रम।

4-भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम।

5-अंगोरा शशक विकास।

7-सूकर विकास।

8-चारा विकास कार्यक्रम।

9-शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1 **पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम**—पशुओं के उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराना तथा विभिन्न रोगों की जांच एवं उनके तत्काल निदान हेतु प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधा। यह पशु संक्रामक रोगों के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2 **पशु विकास कार्यक्रम**—पशु विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य मण्डल में गायों एवं भैसों की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।

3 **कुक्कुट विकास**—अण्डा एवं कुक्कुट मांस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु कुक्कुट प्रक्षेत्रों के माध्यम से कुक्कुट पालकों जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आर्थिक दशा सुधारने हेतु कुक्कुट पक्षी निशुल्क एवं सस्ते मूल्य पर वितरित किये जाते हैं तथा कुक्कुट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कुक्कुट पालन व्यवसाय अपनाने हेतु सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना के माध्यम से कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षित कराया जाता है।

4 **भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम** — स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार एवं ऊन उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ऊन प्रसार केन्द्रों के माध्यम से भेड़ पालकों को भेड़ों को प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

5 **अंगोरा शशक पालन**—पर्वतीय क्षेत्र के 4500-5000 फिट की ऊंचाई वाले स्थानों में अंगोरा शशक पालन को बढ़ावा देने हेतु अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र के माध्यम से इच्छुक उद्यमियों को शशक पालन में प्रशिक्षित करवाकर शशक शावक उपलब्ध कराये जाते हैं।

6 **चारा विकास कार्यक्रम**—पर्वतीय क्षेत्र में कृषि योग्य सिंचित भूमि पर पशुओं के पोषण हेतु पौष्टिक आहार उत्पादन के लिए उन्नत चारा बीजों एवं चारा जड़ों को कृषकों में वितरित किया जाता है।

7 **ग्रासलैंड डेवलपमेंट एण्ड ग्रास रिजर्वस योजना** के अन्तर्गत वन पंचायतों में चारा विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है।

8 **शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**—पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए शिक्षित/अशिक्षित युवक एवं युवतियों को दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन आदि के लिए पशुलोक प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के सम्भावित रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण, रोगग्रस्त पशुओं की सामयिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, दुग्ध, अण्डा, मांस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से स्वदेशी नस्लों को सुधार, स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन, विदेशी नस्ल की प्रजातियों का प्रसार तथा उन्नतिशील प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने एवं पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध आदि कराना है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार एवं ग्रामीण अंचलों में पिछड़े, निर्बल वर्ग के सामयिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उर्पयुक्त लक्ष्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं :-

1—प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पशुधन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रादेशिक प्रजनन की नीति निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विदेशी डेरी प्रजातियों के साथ गैर प्रजातीय गौ पशुओं को संकरण कराना उत्तराखण्ड क्षेत्र में जर्सी प्रजाति तथा अन्य क्षेत्रों में फ्रीजियन प्रजाति से संकरण करना गौ एवं महिष वंशीय स्वदेशी प्रजातियों का अनुवांशिक सुधार करने से सम्बन्धित नीति अपनाई जा रही है।

2—पशु चिकित्सा एवं संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय, पशु प्रजनन की सुविधा, पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, हरा चारा उत्पादन में वृद्धि लघु पशुओं के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पशु उत्पादों में वृद्धि लाने

हेतु तथा ग्रामीण अंचल के कमजोर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

3— प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों के आश्रित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक उन्नयन हेतु ब्रायलर पोल्ट्री फार्मों की स्थापना पर बल दिया गया है। प्रदेश के समस्त राजकीय पशुधन को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक संसाधनों एवं नवीनतम तकनीक से सुसज्जित करने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की गई है।

4—पशुधन विकास में पौष्टिक चारे की विकास हेतु बायोमास उत्पादन, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, चारा बीज मिनीकिट्स के वितरण तथा कृषि योग्य भूमि पर सिल्वीपाश्चर विकसित करने पर बल दिया गया है।

5—भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने हेतु उत्तराखण्ड शीप एवं वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के शत प्रतिशत सहयोग से एकीकृत ऊन विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में बकरी, कुक्कुट, सुअर, अंगोरा शशक के विकास हेतु विभिन्न रोजगार योजनाएं कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है।

6—पशुधन विकास में विश्व बैंक की सहायता से यू0पी0डी0ए0एस0पी0 का कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु पैरावेट्स कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें पशुधन विकास की विभिन्न सेवायें शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवको द्वारा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

7—प्रदेश में गौशालाओं के विस्तार एवं सुदृढीकरण एवं प्रभावशाली रूप से स्वदेशी प्रजाति के गौ-वंश संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त एस.सी.पी./टी.एस.पी. योजनान्तर्गत गौपालन, भेड़ पालन एवं बकरी पालन (बकरी पालन सामान्य जाति को भी देय है) इकाईयां स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवको को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने एवं उनके आर्थिक उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है।

3.5: पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को प्रदत्त की जा रही सेवाओं तथा सेवा शुल्क की विस्तृत जानकारी :-

शासनादेश संख्या 352/XV-1/2005 टी0सी0 दिनांक 8 नवम्बर 2005, शासनादेश संख्या 103/XV-1/2011/7(81) 2005 दिनांक 23 मार्च 2011, शासनादेश संख्या 626/XV-1/2011/ 7(81) 2005 दिनांक 28 जुलाई 2011, शासनादेश संख्या 1026/XV-1/11/ 7(81) 05 दिनांक 14 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या 673/XV-1/15/ 7(81) 05 दिनांक 30 जुलाई 2015 के अनुरूप निर्धारित लेवी दरें :-

क्र.सं	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता संस्था	सेवा प्रदाता अधिकारी	सेवा शुल्क (लेवी) यदि कोई हो	
1	प्राथमिक पशुचिकित्सा/पशु चिकित्सा	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	बड़े पशु	10.00
				भेड़/बकरी/ सूअर	5.00
				कुत्ता/बिल्ली (शहरी क्षेत्रों हेतु)	40.00
				कुत्ता/बिल्ली (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)	10.00
				विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु	निःशुल्क
2	बधियाकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	बड़े पशु (मुख्यालय)	15.00
				बड़े पशु (लाभार्थी के द्वार पर)	25.00
				छोटे पशु (मुख्यालय)	10.00
				छोटे पशु (लाभार्थी के द्वार पर)	15.00

3	टीकाकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय एवं शिविर स्थल पर टीकाकरण किया जाता है	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	आर0पी0	1.00
				फाउल पॉक्स(एफ0पी0)/आर0डी0	1.00
				स्वाइन फीवर	2.00
				एन्टेरोटाक्सीमिया	1.00
				शीप पॉक्स	1.00
				एच0एस0 / बी0क्यू0	1.00
				एफ0एम0डी0	2.00
				पी0पी0आर0	1.00
4	कृत्रिम गर्भाधान (गाय/भैंस)	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	मुख्यालय पर	60.00 / स्ट्रा
				पशु पालक के द्वार पर	100.00 / स्ट्रा
5	स्वास्थ्य परीक्षण	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	बड़ा पशु	50.00
				छोटा पशु	20.00
				विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु	निःशुल्क
6	शव परीक्षण	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	बड़ा पशु	100.00
				छोटा पशु	20.00
				विधिक प्राधिकरण केस प्रापटी पशु	निःशुल्क
7	जांच सेवायें	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0	रक्त	10.00
				मल	5.00
				मूत्र	5.00
8	भेड़ों बकरियों में सामूहिक दवापान	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	100.00 प्रति 100 छोटे पशु	

9	भेड़ों बकरियों में सामूहिक दवास्नान	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	50.00 प्रति 100 छोटे पशु
10	X- Ray Large Film (Per Exposure, Size 17"X14"/15"X12")	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	50.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
11	X- Ray Small Film (Per Exposure, Size less than 15"X12")	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	40.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
12	Intra Veinous Pyelography (IVP) Per Exposure	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
13	Barium Meal Study (Per Exposure)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
14	Ultrasound Report (Without Scan Print)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	50.00 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालक के लिये सुविधा निःशुल्क)
15	Ultrasound Report (With Scan Print, if available)	केवल चयनित पशुचिकित्सालयों पर	प0चि0अ0	100.00 (प्रिंट के साथ रिपोर्ट पर शुल्क देय होगा)
16	भेड़ बकरी पालकों का पंजीकरण	ग्राम सभा/न्याय पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्र, विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर पशु चिकित्सालय	प0प्र0अ0 / प0चि0अ0	निःशुल्क

3.6 पशुधन प्रजनन की परिकल्पना :-

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में वृद्धि करना।
2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना।
3. पशु नस्ल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओं, (कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक अभिजनन/ भ्रूण प्रत्यारोपण) के माध्यम से चरणबद्ध रूप से शत-प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओं को संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम से आच्छादित करके पशुधन प्रजनन की सुविधा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध करना।
4. दूध, अण्डा, कुक्कुट, माँस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी करना।
5. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी करना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

1. पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना।
2. पशुपालकों को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के संसाधन सुलभ करना।
3. पशुओं के अनुवांशिक गुणों में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लों को संरक्षित/सुरक्षित रखने के लिये पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
4. दूध, अण्डा, कुक्कुट, मांस एवं अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना।
5. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य/भारवाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में हष्ट-पुष्ट बैलों की नियमित आपूर्ति का सृजन सुनिश्चित करना।
6. मैदानी क्षेत्र में डेरी उद्यम से आच्छादित करने हेतु उच्च दुग्ध उत्पादन, शीघ्र परिपक्वता, कम इंटर काविंग अवधि और उच्च जनन क्षमता से युक्त इंटर-सि-मेटिंग हाफब्रेड दुधारु पशुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना।
7. ज्ञात कुल गोवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल तथा हरियाणा आदि) जिनकी संख्या राज्य में अत्यन्त कम है, के लिये उसी नस्ल के शुद्ध साण्डों का वीर्य उपलब्ध करवाकर इन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करना।
8. उत्तम ऊन विकास के लिए प्रयास करने के साथ ही गुणवत्तायुक्त ऊन एवं कालीन (कारपेट) ऊन के उत्पादन में वृद्धि लाना।
9. विद्यमान अवस्थापना यथा-पशु चिकित्सालयों, टीका एवं नैदानिक उत्पादन इकाईयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों के प्रभावी उपयोग हेतु उनका पुनःसुदृढीकरण/आधुनिकीकरण करना।
10. प्राइवेट सेक्टर, सहकारिताओं तथा गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाओं के लिये प्रोत्साहित करना।
11. पशुधन विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण पशुपालकों को पोषण समर्थन एवं उनकी पूरक आय में वृद्धि करना तथा उनके लिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार संसाधन उत्पन्न/सृजित करना।
12. पशुओं के भरण-पोषण तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु आहार तथा चारा स्रोतों में बढ़ोत्तरी करना और उनके लिए सस्ता पशु आहार विकसित करना।

3.7 उत्तराखण्ड पशुधन प्रजनन नीति :-

गौ एवं महिषवंशीय :-

1. पर्वतीय क्षेत्र में बैल कृषि की रीढ़ है। इसलिए कृषि कार्य/भारवाहन पशु उत्पादन हेतु 1500 मी० से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संस्तुत पशु प्रजनन नीति पर्वतीय क्षेत्र के अज्ञात कुल (Non-Descript) गोवंशीय पशुओं में से चयनित अभिजनन (Selective Breeding) की होनी चाहिए।
2. पर्वतीय जनपदों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति अपनाई जाय कि स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन/उन्नयन हेतु जर्सी के साथ कास ब्रीडिंग तत्पश्चात एफ-1 हाफ ब्रेड का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) जर्सी x रेड सिन्धी के साथ कराया जाये, जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
3. मैदानी क्षेत्रों में दुधारु पशुओं के लिये यह नीति होनी चाहिए कि अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) देशी गाय के प्रजनन हेतु एच०एफ० से कास ब्रीडिंग और इसके बाद हाफ ब्रेड (एच०एफ० x साहीवाल/एच०एफ० x रेड सिन्धी/एच०एफ० x थारपारकर) का परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) कराया जाय जिससे Exotic blood level को 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
4. भैंसों के लिये सम्पूर्ण राज्य में शुद्ध मुरा नस्ल के साथ उन्नयन (Upgrading) किये जाने की सार्वभौमिक नीति अपनाई जानी चाहिए।
5. परस्पर समागम (Inter-Se-Mating) के लिये प्रयुक्त होने वाले सभी साण्ड क्रासब्रेड (50:50) हो तथा भैंस के प्रजनन हेतु अनुवांशिक आधार पर मूल्यांकित (Pedigreed) भैंसा साण्ड हों।
6. ज्ञात कुल सभी गौवंशीय देशी नस्लों (रेड सिन्धी, साहीवाल, हरियाणा तथा बद्रि) के लिये उसी नस्ल के शुद्ध साण्डों का वीर्य उपलब्ध कराकर इन प्रजातियों का संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित किया जाना है।
7. राष्ट्रीय महत्व की विलुप्तप्राय रेड सिन्धी नस्ल को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के लिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी को रेड सिन्धी नस्ल के न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म के रूप में विकसित करके इस नस्ल को Propagate किया जाय।
8. उत्तराखण्ड में पशुधन की स्थानीय प्रजातियों यथा-तराई एवं बुजरी नस्ल की भैंस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष प्रयास करने हैं।

भेड़, बकरी एवं अंगोरा शशक प्रजनन :-

1. उत्तराखण्ड में भेड़ों की कुल जनसंख्या का एक तिहाई संकर नस्ल की भेड़ें हैं, जिन्हें मेरीनों/रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय भेड़ों से संकर प्रजनन पद्धति (Selective Breeding) कराते हुए नस्ल का (Upgrading) किया जाना है।
2. शुद्ध स्थानीय नस्ल (गद्दी, रामपुर, बुशायर, काली भेड़) के मध्य उन्नत गुणवत्ता वाले भेड़ों को चयनित करते हुए चयनित प्रजनन पद्धति (Selective Breeding) अपनायी जायेगी।
3. बकरी प्रजनन नीति के अन्तर्गत स्थानीय नस्ल के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा। मैदानी क्षेत्रों में बरबरी व जमुनापारी नस्ल से कास ब्रीडिंग/अपग्रेडिंग किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्र में मोहेर के उत्पादन हेतु स्थानीय बकरियों में अंगोरा बकरे से प्रजनन कराया जाय और अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, ग्वालदम (चमोली) में उपलब्ध जर्मप्लाज्म के अन्तर्गत इनब्रीडिंग समाप्त करने हेतु अंगोरा बकरी के हर्ड को Replace किया जायेगा। बर्फीले अर्थात् उच्च तुगंता (High Attitude) वाले स्थानों पर पश्मीना बकरी के विकास सम्बन्धी प्रजनन कार्यक्रम चलाया जायेगा।
4. शशक प्रजनन नीति के अन्तर्गत अंगोरा जर्मन शशकों के मध्य चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा अंगोरा शशक प्रजनन हेतु इसके जर्मप्लाज्म का आयात किया जायेगा और इनब्रीडिंग को रोकने के लिए इनकी Pure Line Breeding Adopt की जायेगी, जिसमें दो लाईन नर एवं दो लाईन मादा की रखी जायेगी।

सूकर प्रजनन :-

1. पशुगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में सूकरों की कुल संख्या 17659 है। पर्वतीय क्षेत्र में सूकर पालने को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, यद्यपि पर्वतीय जनपदों में इसके विकास की अपार सम्भावनाएँ हैं।
2. सूकर प्रजनन नीति के लिए चयनित विदेशी ब्रीड-याशायर/लार्ज व्हाइट याक शायर (दोनों प्रजातियाँ भारत में उपलब्ध हैं) के साथ नैसर्गिक अभिजनन द्वारा अपग्रेडिंग की जायेगी।

कुक्कुट पालन :-

1. कामर्शियल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन उद्योग के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उनके पास इस हेतु उत्कृष्ट संसाधन है। अतः कामर्शियल पोल्ट्री ब्रीड्स का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
2. घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय देशी (Non-Descript) ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन (Selective Breeding) किया जायेगा तथा भारतीय परिवेश की स्थानीय ब्रीड को संरक्षित किया जायेगा।
3. कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार हेतु कायलर (Kuroiler) चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था की जायेगी तथा Dual Purpose Breed को बढ़ावा दिया जायेगा।

पशुधन प्रजनन नीति का क्रियान्वयन :-

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट बैलों की आपूर्ति के लिए स्थानीय अवर्गीकृत (Non-Descript) गौवंशीय पशुओं में से उनकी गुणवत्ता के आधार पर नर-मादा का चयन करके Selective Breeding की जायेगी।
2. गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन हेतु पशु प्रजनन नीति के अनुसार उत्तम नस्ल के Pedigreed/ Progeny Tested साण्डों का फ़ोजन सीमेन तथा साण्डों का उपयोग किया जायेगा।
3. राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए 1000 एवं पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 750 प्रजनन योग्य पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/प्राइवेट ए0आई0 कार्यकर्ता उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वर्ष 2025 तक संगठित पशु प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रजनन योग्य पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराई जायेगी।
4. पशुपालकों को उत्तम पशुओं के उत्पादन हेतु प्रजनन, चिकित्सा, टीकाकरण, डिबर्मिंग, चारा उत्पादन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ निकृष्ट साण्डों/मेढ़ों/बकरों का बधियाकरण।
5. उत्तम दुधारू पशुओं को फील्ड परफॉर्मेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत कर के पशुपालकों को उनके क़य-विक़य में सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उन्हें अपने पशु एवं उनकी संततियों का समुचित मूल्य मिल सके।
6. पशुधन से सम्बन्धित आँकड़ों के रख-रखाव एवं उनका अभिलेखीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत गोवंशीय/महिषवंशीय पशुओं के फील्ड परफॉर्मेन्स/प्रोजनी टैस्टिंग करके जनहित में उनकी सायर डायरेक्ट्री तैयार करवाई जायेगी।
7. गाय एवं भैंस के स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु उनके उत्तम गुणवत्ता वाले साण्डों का चयन करके अतिहिमीकृत/एस.एस.एस. वीर्य उत्पादन किया जायेगा, जिससे कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा स्थानीय नस्ल का उन्नयन (Upgrading) किया जा सके।
8. क्रासब्रेड भेड़ों की Upgrading हेतु मेरिनो एवं रैम्बुले नस्ल के शुद्ध वंशीय मेढ़ें उपलब्ध/वितरित कराये जायेंगे, जिससे की ऊन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
9. शुद्ध स्थानीय नस्ल की भेड़ों हेतु उन्नत गुणवत्ता वाले मेढ़ों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
10. बकरियों हेतु स्थानीय प्रजाति के ही उत्तम गुणवत्ता वाले बकरों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
11. शशकों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर अंगोरा जर्मन शशकों का चयन करके प्रजनन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
12. सूकरों के प्रजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले नर याक शायर/लार्ज व्हाइट या शायर उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. खच्चर उत्पादन हेतु स्थानीय घोड़ियों के नैसर्गिक अभिजनन हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले **Donkey Stallion** अथवा कृत्रिम गर्भाधान हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले **Donkey Stallion** का अतिहिमीकृत वीर्य उपलब्ध करवाया जायेगा।
14. याक पशुओं हेतु उत्तम गुणवत्ता के याक साण्डों की आपूर्ति करके उनके प्रजनन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
15. कामर्शियल हाईब्रिड पोल्ट्री का प्रजनन कार्य इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
16. घरेलू कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय अवर्गीकृत (**Non-Descript**) देशी ब्रीड के कुक्कुटों में चयनित प्रजनन (**Selective Breeding**) किया जायेगा और देश की अन्य कुक्कुट प्रजातियों यथा—पंजाब ब्राउन, शुद्ध या उनकी संकर नस्लों की केन्द्रीय संस्थानों एवं अन्य राज्यों से आपूर्ति करके उनका उत्पादन किया जायेगा और नस्ल सुधार हेतु कुक्कुट पालकों में उनका वितरण किया जायेगा।
17. स्वरोजगार हेतु कायलर (**Kuroiler**) चूजों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
18. सहकारिताओं, स्वैच्छिक संगठनों, नस्ल सुधार समितियों तथा कृषकों/पशुपालकों को उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु सयिा भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पशुधन विकास से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं मानव संसाधन विकास केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जायेगा।
19. प्राइवेट सेक्टर तथा गैरसरकारी संगठनों को आवश्यक निवेशों तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा।
20. विभागीय अवस्थापना यथा—पशुचिकित्सालयों, नैदानिक उत्पादन इकाईयों, वीर्य उत्पादन केन्द्रों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, गौशालाओं, पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन प्रक्षेत्रों और प्रदर्शन इकाईयों के प्रभावी उपयोग के लिये उनका पुनसुदृढीकरण/आधुनिकीकरण किया जायेगा और पशुधन सेक्टर में प्रसार सम्बन्धी अवस्थापना में भी मौलिक सुधार किया जायेगा।
21. इस नीति के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार शासन, विभाग एवं विभिन्न संस्थाओं /बोर्डों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों/पशुपालकों के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (**MOU**) भी किया जायेगा, जिससे पशुधन प्रजनन नीति तीव्रतर कार्यान्वयन सम्भव हो सके।